श्री राजेश कुमार, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2015 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

समीक्षोपरान्त बैठक में निम्न निदेश दिये गये :-

- **वासगीत पर्चा** :- सभी अंचलों में वासगीत पर्चा निर्गत करने संबंधी लम्बित मामलों एवं ऐसे प्रश्रय प्राप्त भूमिहीन रैयत जो अन्य जमीन मालिकों के जमीन पर घर बनाकर रह रहे है, उन्हें अभियान चलाकर वासगीत पर्चा वितरण करवाने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।
- **लोक सेवा अधिकार अधिनियम** :- समीक्षा के क्रम में नोडल पदाधिकारी, आर०टी०पी०एस० द्वारा बताया गया कि माह के अन्त में लम्बित आवेदन पत्रों के प्रतिशत के आधार पर स्टेट रैंकिंग किया जाता है। प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि Expired आवेदन की संख्या कम रहने के बावजूद भी माह के अन्त में लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या अधिक रहने के कारण रैंकिंग प्रभावित हो रहा है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सेवा प्रदान करने वाले पदाधिकारी सेवा प्रदान करने के निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखकर लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निष्पादन में शिथिलता बरत रहे हैं। आर०टी०पी०एस० अधिनियम में यह कही भी उल्लेख नहीं है कि सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित समय-सीमा की तिथि को ही सेवा प्रदान किया जाय। अतः लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत् विनिर्दिष्ट सभी लोक सेवकों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित समय-सीमा की तिथि का इंतजार किये बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को त्वरित निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि माह के अन्त में लम्बित आवेदनों की संख्या कम हो सके। नोडल पदाधिकारी, आर०टी०पी०एस० को निदेश दिया गया कि आर०टी०पी०एस० के तहत् सेवा प्रदान करने हेतु सभी विनिर्दिष्ट लोक सेवकों को उक्त आशय का निदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
- **सी०डब्लू०जे०सी०/एम०जे०सी०** :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि एम०जे०सी० के छः वाद कारणपृच्छा दायर करने हेतु लम्बित है, जिसमें क्रमशः जिला कृषि पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमनखी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पूर्णियाँ एवं अनुमंडल पदाधिकारी बनमनखी द्वारा तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदित कराया जाना है। इन सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कारणपृच्छा दायर करने हेतु तथ्य विवरणी अनुमोदनार्थ भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिवेदन के समीक्षा के आलोक में यह पाया गया कि सी०डब्लू०जे०सी० का कुल 76 मामला प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लम्बित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदन हेतु भेजने का निदेश देंगे। वैसे मामले को प्राथमिकता देंगे, जिसमें स्टैंडिंग कॉन्सिल द्वारा समय-सीमा निर्धारित कर तथ्य विवरणी भेजने का पत्र प्राप्त हो गया हो।
- **विभागीय कार्यवाही** :- स्थापना उपसमाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष के प्रारम्भ में 20 मामलों में 05 मामला निष्पादित हो चुका है। शेष 15 मामलों में 11 में जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। 03 मामला द्वितीय कारणपृच्छा स्तर पर प्रक्रियाधीन है एवं 01 मामला न्यायालय आदेश की प्रतीक्षा में है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी 11 मामलों में जाँच प्रतिवेदन हेतु संचालन पदाधिकारी को कई स्मार दिया गया है। स्थापना उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि पुनः तीव्र स्मार देना सुनिश्चित करेंगे।

12/1/15 12/1/15

☞ <u>सेवान्त लाभ</u> :- सेवान्त लाभ के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त से पाया गया कि जिला के विभिन्न कार्यालयों में 38 मामला लम्बित है, जिसमें अधिकांश मामला सिर्फ भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु लम्बित है। जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि वे अभियान चलाकर भविष्य निधि का भुगतान शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 102 /स्था0, पूर्णियाँ दिनांक 12/01/15

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, पूर्णियाँ/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सभी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ/समाहरणालय पूर्णियाँ स्थित सभी प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), पूर्णियाँ/जिला आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णियाँ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे बैठक की कार्यवाही को ई-मेल से संबंधित पदाधिकारी को भेजते हुए जिला के वेबसाईट पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

Raje h.
12/01/15
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।